रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 1993/वैशाख 27, 1915
No. 90] NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 1993/VAISAKHA 27, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 20--ई टी सी (पी एन)/92--97

नई दिल्ली, 17 मई, 1993

विषय :--विशेष रूप से आयातित सागवान के लट्ठों से बनी चिरी हुई इमारती मलकड़ी का निर्यात।

फा. सं. 61(82)/92--ई-2--वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 19 दिनांक 17-5-1993 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार निर्यात-आयात नीति, 1992--97 (संशोधित संस्करण/मार्च, 1993) के अध्याय 16--निर्यात की निषेधात्मक सूची, भाग--1, पैरा-ग्राफ--156--निषिद्ध मदें-- में क्रम सं. 7 पर दी गई प्रविष्टि को "विशेष रूप से आयातित सागवान के लट्ठों/इमारती लकड़ी से बनी "चिरी हुई इमारती लकड़ी को छोड़कर लट्ठों, टिम्बर, स्टम्प, जड़ें, छाल, बिल्व पाउडर, फ्लेक्स, डस्ट, पल्प और चारकोल के रूप में लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद बशर्ते कि इसके लिए शर्तें विनिर्दिष्ट हों।" के रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया गया है।

2. निम्नलिखित प्रविष्टि वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 15--ई टी सी (पी एन)/92--97 दिनांक 31 मार्च, 1993 के उपाबंध I क्रम सं. 35 के रूप में जोड़ी जाएगी जिसमें विनिर्दिष्ट की गई मदों के निर्यात की शर्तें शामिल हैं :--

क्रम सं.	मद	निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने/दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अनुमत निर्यात
1	2	3
"35	विशेष रूप से आयातित सागवान के लट्ठे/टिम्बर से बनी, चिरी हुई इमारती लकड़ी।	(1) निर्यात उन्हीं प्रजातियों का होगा जिनका आयात किया गया हो; (2) आयातक और निर्यातक एक ही पार्टी/फर्म होगी और आयात तथा निर्यात एक ही पत्तन से करना होगा। यह स्कीम केवल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम तथा कान्डला के पत्तनों से ही क्रियान्वित होगी;

1	2
	(3) आयातित लट्ठों से तैयार किए गए चिरे हुए उत्पादों का निर्यात मात्रा की शर्तों के अनुसार आयात के 60% से अधिक नहीं होगा ।
	(4) ऐसे निर्यातों का मूल्य संवर्धन 30% से कम नहीं होगा ।
	(5) निर्यातक चिराई करने का मिल जहां आयातित इमारती लकड़ी चीरी जायेगी वह राज्य के वन विभाग के पास पंजीकृत होगा और वह राज्य सरकार के वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत वन क्षेत्र से दूर स्थान पर स्थापित होगा ।
	(6) निर्यातक को आयात की तारीख से 6 महीनों की अवधि के अन्दर निर्यात अवश्य करना होगा ।
	(7) निर्यात संविदाएं रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (केपेक्सिल) के पास पंजीकृत होंगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए उन पर निगरानी रखेगी कि स्कीम का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है ।
	(8) निर्यातकों को केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा इमारती लकड़ी के परिवहन के लिए बनाए गए कानूनों और नियमों का पालन करना होगा

3 इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

सी. के. मोदी, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE No. 20—ETC(PN)/92-97

New Delhi, the 17th May, 1993

Subject: Export of Sawn Timber made exclusively out of imported teak logs.

F.No.61(82)/92-E-II.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Notification No. 19-ETC(RE) 92-97 dated 17th May, 1993 according to which the entry appearing at S.No. 7 in Chapter XVI—Negative List of Exports, Part I, Paragraph 158-Prohibited items, of the Export and Import Policy, 1992-97 (Revised Edition; March 1993), has been amended to read as "Wood and wood products in the form of logs, timber, stumps, roots, barks, chips, powder, flakes, dust, pulp and charcoal except sawn timber made exclusively out of imported teak logs/timber subject to conditions as may be specified."

2. The following entry shall be added as Sl. No. 35 in the Annexure to the Ministry of Commerce Public Notice No. 15-ETC(PN)/92-97 dated 31st March, 1993 containing the terms and conditions of export of the items specified therein:—

S. No.	Item	Export allowed on the fulfilment of following conditions/production of documents
1	2	3
"35.	Sawn Timber made exclusively out of imported teak logs/timber.	(i) The export would be confined to the species which has been imported; (ii) The importer and exporter will be the same party/firm and the import and export will have to be effected from the same port. The scheme will be operational only from the ports of Bombay, Calcutta, Madras, Visakhapatnam and Kandla; (iii) The export of sawn products derived from imported logs shall not exceed 60% of the imports in volume terms; (iv) The value addition of such exports shall not be less than 30%. (v) The Saw Mill of the exporter, where imported timber is sawn shall be registered with the State Forest Department and shall be located away from the forest area in a location approved by the Conservator of Forests of the State Government;

1	2	3
		(vi) The exporter must undertake exports within a period of 6 months from the date of import;
		(vii) The export contracts shall be registered with the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council (CAPEXIL) who will monitor them to ensure that the scheme is not abused.
		(viii) The laws and rules framed by the Central Government and the State Government concerned to regulate timber in transit shall be followed by the exporters."

This issues in public interest.

K. MODI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993